महत्वपूर्ण एवं खास

विधानसभा का पंचम सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक

बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जायेंगे अधिकारी-कर्मचारी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम विधानसभा का पंचम सत्र सोमवार 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 21 मार्च 2025 तक आहूत है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले तारांकित, अतारांकित विधानसभा प्रश्नों, स्थगन, शून्यकाल, आश्वासनों, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, याचिका आदि तथा लोक लेखा समिति से संबंधित पत्राचार, जानकारी निर्धारित समयावधि में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के समस्त विभागों में पदस्थ/कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि उक्त विधानसभा सत्र के दौरान वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न ही अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय त्यागेंगे। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी सहित उनके कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार रहेंगे। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने विधानसभा सत्र के दौरान संबंधित पत्राचार एवं जानकारी निर्धारित समयावधि में तैयार कराकर शासन को उपलब्ध कराने हेतु डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा का मोबा.नं. 77468-59383, 81098-24393 एवं फैक्स नंबर 07762-222291 है।

मतगणना हेतु नियुक्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों से गणना रिपोर्ट प्राप्त करने अधिकारियों की लगी ड्यूटी

रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायगढ़ के मतगणना हेतु नियुक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों से गणना रिपोर्ट मतदान केन्द्रवार/वार्डवार प्राप्त करने तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के माध्यम से वार्डवार/मतदान केन्द्रवार डाटा एन्ट्री कार्य हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें उपायुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ सुतीक्षण यादव मोबा.न.94252-52526 के लिए आबंटित कार्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों से गणना रिपोर्ट प्राप्त कर टेबलवाल नियुक्त अधिकारी को डाटा एन्ट्री हेतु सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जिला अल्प बचत अधिकारी जगजीवन राम जांगड़े मोबा.नं.91241-90082 के लिए वार्ड क्रमांक 1 से 16 तक प्राप्त गणना रिपोर्ट की जांच कर एन्ट्री कराना, सहायक अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग, रायगढ़ जे.एल.प्रजापति मोबा. नं.88279-32425 के लिए वार्ड क्रमांक 17 से 32 तक प्राप्त गणना रिपोर्ट की जांच कर एन्ट्री कराना, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ के.एस.कंवर मोबा. नं.99071-34459 के लिए वार्ड क्रमांक 33 से 48 तक प्राप्त गणना रिपोर्ट की जांच कर एन्ट्री कराना शामिल है। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर.कच्छप मोबा. नं.7000147233 को रिजर्व रखा गया है।

नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 : 15 फरवरी को होगी मतगणना

मतगणना कार्य में संलग्न दलों के अधिकारी-कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

❏ मतगणना कार्य को सरलता पूर्वक संपन्न कराने बेहतर तरीके से प्राप्त करें प्रशिक्षण- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

रायगढ़

नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 के अंतर्गत आगामी 15 फरवरी को मतगणना होगी। जिसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में मतगणना कार्य में संलग्न दलों का प्रशिक्षण कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में आयोजित हुई।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि मतगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आप सभी बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे मतगणना कार्य सरलता पूर्वक संपन्न हो सके। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से मतगणना कार्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को कहा कि सभी शंकाओं को प्रशिक्षण में दूर कर लें, ताकि मतगणना स्थल में किसी प्रकार की समस्या ना हो।

नगरीय निकायों के निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत मतदान पश्चात मतगणना 15 फरवरी को सभी मुख्यालय में की जाएगी। जिसमें रायगढ़ नगर पालिक निगम के सभी 48 वार्डों के लिए मतगणना का कार्य स्थानीय केआईटी कॉलेज तथा अन्य नगरीय निकायों के नगर पालिकाओं के ईवीएम मशीनों की मतगणना संबंधित मुख्यालय में होगी। प्रत्येक नगरीय निकाय में वार्ड संख्या के अनुसार टेबल लगाई जाएगी। जिसके लिए मतगणना सुपरवाइजर तथा सहायकों को नियुक्त किया गया है।

प्रशिक्षण के दौरान जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने बताया कि मतगणना दिवस पर प्रात: निर्धारित समय में मतगणना दल के अधिकारी-कर्मचारी केआईटी पहुंचेंगे, जहां जांच उपरांत प्रवेश दिया जाएगा। उसी दिन सुबह मतगणना दलों को टेबल अलॉट की जाएगी, जहां बैठकर उन्हें संबंधित वार्ड की मशीनों की मतगणना करनी है। प्रत्येक वार्ड में जितने मतदान केंद्र हैं उसमें मतदान केद्रों की कंट्रोल यूनिट रिकॉर्ड किए गए मतों की लेख के साथ क्रमवार मतगणना टेबल पर लाई जाएगी। कंट्रोल यूनिट के बॉक्स में लगे एड्रेस टैग से मशीनों की सीलिंग की जांच उपस्थित गणना अभिकर्ता करेंगे तत्पश्चात बॉक्स से मशीन निकाल कर भीतर की सभी सीलों की जांच दल के कर्मचारी एवं गणना अभिकर्ताओं द्वारा की जाएगी मिलान उपरांत मशीनों से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मतगणना स्थल पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। गणना अभिकर्ता और गणना दल के कर्मचारियों के बीच तार की जाली लगी होगी, जिसके उस पार से अभिकर्ता मशीन पर परिणाम को देख तथा नोट कर सकेंगे।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवि राही, रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम प्रवीण तिवारी, अक्षा गुप्ता, रमेश मोर तथा डिप्टी कलेक्टर एवं निर्वाचन नोडल अधिकारी समीर बड़ा, मास्टर ट्रेनर्स विकास सिन्हा, अनिल गुप्ता एवं भुवनेश्वर पटेल भी उपस्थित रहे।

छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, चक्रधरनगर पुलिस ने भेजा न्यायिक रिमांड पर

रायगढ़

चक्रधरनगर पुलिस ने छेड़खानी के गंभीर मामले में आरोपी गौतम कुलदीप (32 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

मामला 6 फरवरी 2025 का है, चक्रधरनगर क्षेत्र की एक महिला ने उसके परचित गौतम कुलदीप पर अमर्यादित हरकतें करने और जबरदस्ती करने का आरोप लगाई थी। महिला का कहना है कि गौतम उसकी मंशा के खिलाफ जबरदस्ती घर आया, कपड़े खींचने की कोशिश की, और जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे दांत से काट लिया।

घटना की रिपोर्ट 12 फरवरी को महिला ने एक लिखित आवेदन देकर दर्ज कराया गया जिसके बाद चक्रधरनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अप.क्र. 71/2025 धारा 74, 76, 118(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान लिया और तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की।

पुलिस की सक्रियता से तत्काल आरोपी गौतम कुलदीप को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया और आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही। पुलिस ने कड़ा संदेश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धान उपार्जन केन्द्रों से 20 फरवरी तक करें शत-प्रतिशत धान का उठाव, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने राईस मिलर्स की बैठक लेकर दिए निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पंजीकृत राईस मिलर्स की बैठक ली। उन्होंने सभी धान उपार्जन केन्द्रों से शत-प्रतिशत धान उठाव के निर्देश दिए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जिले में कुल 508797.64 एमटी धान की खरीदी की गई है जिसके विरूद्ध 438716.66 एमटी धान का उठाव किया जा चुका है।

कलेक्टर गोयल ने विभागीय अधिकारियों को शेष बचे 70080 एमटी धान को कार्ययोजना बनाकर आगामी 20 फरवरी तक उठाव पूर्ण करने के निर्देश दिए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि 106 मिलर्स द्वारा धान का उठाव किया जाना शेष है। इसके लिए प्रतिदिन मिलरवार उठाव की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। अपेक्षाकृत कार्य नहीं करने वाले 29 राईस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर गोयल ने कहा कि धान उठाव के कार्य में आवश्यक प्रगति लाए अन्यथा संबंधितों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले के उपार्जन केन्द्र खरसिया और कुनकुनी में संपूर्ण धान का उठाव हो चुका है। शेष 103 उपार्जन केन्द्रों में भी शत-प्रतिशत उठाव करते हुए समितियों में मिलान का कार्य प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर रवि राही, खाद्य अधिकारी खोमेश्वर सिंह, डीआरसीएस सी.एस.जायसवाल, अपेक्स बैंक से सोढ़ी, डीएमओ शैलो नेताम, सहायक खाद्य अधिकारी राबिया खान एवं राईस मिलर्स उपस्थित रहे।

सोना-चांदी चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

पुसौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सोना-चांदी चमकाने के नाम पर महिलाओं को ठगने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने साथी के साथ पीतल और जेवर साफ करने के बहाने घरों में घुसते और सफाई के नाम पर जेवरात लेकर फरार हो जाते थे। इसी तरह की घटना पुसौर थाना क्षेत्र में घटी, जहां एक महिला से 80,000 रुपये के गहने ठग लिए गए थे।

घटना 20 मई की सुबह की है, आरोपियों ने ग्राम लोहरसिंह की रहने वाली धनकुमारी पटेल के साथ ठगी की। महिला घर में अकेली थी, तभी दो अज्ञात युवक मोटरसाइकिल से आए और खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बताते हुए पीतल व सोने-चांदी के बर्तन-जेवर चमकाने की बात कही। उन्होंने पीतल के बर्तन धोकर दिखाए और फिर बातों में उलझाकर महिला से सोने का एक जोड़ा झुमका और मंगलसूत्र (कुल 80,000 रूपये) सफाई के लिए ले लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने महिला को पाउडर की पोटली थमाते हुए कहा कि उसमें गहने हैं, जिसे 10 मिनट बाद खोलना। जब महिला ने पोटली खोली, तो उसमें सिर्फ पाउडर था, गहने गायब थे। ठगी का अहसास होते ही महिला ने थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया।

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस- एसपी दिव्यांग पटेल और एएसपी आकाश मरकाम के निर्देश पर पुसौर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, वहीं अन्य राज्यों में इसी तरह के अपराधों की जानकारी जुटाई गई। लगातार जांच के बाद पुलिस को एक संदेही की पहचान करने में सफलता मिली, जो खरसिया में रहता था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमलेश साव उर्फ मिथुन (31 वर्ष) निवासी ठाकुरदिया, खरसिया मूल निवास कलम चौक घनश्यामपुर थाना घनश्यामपुर जिला दरभंगा बिहार के रूप में हुई। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने भागलपुर, बिहार के अपने एक साथी के साथ वारदात को अंजाम देने की बात कबूली। आरोपी ने बताया कि ठगी के बाद मिले गहनों को बेचकर उसने रुपये खर्च कर दिए। पुलिस ने आरोपी के पास से 2500 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी अन्य जिलों से शेयर कर इनके अपराधिक रिकार्ड की जानकारी ली जा रही है।

फरार आरोपी की तलाश जारी- पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि उसके फरार साथी की तलाश में दबिश दी जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन में थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित बंजारे, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर, सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर विश्वाल, आरक्षक ओशनिक विश्वाल, कीर्तन यादव की अहम भूमिका रही। "पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के ठगों से सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।"

अवैध महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार, पूंजीपथरा पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़

पूंजीपथरा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम पानीखेत में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पानीखेत दर्रीपारा निवासी सुन्दर साय राठिया अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री के लिए पैदल ही ग्राम तराईमाल, गेरवानी की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए इलाके में घेराबंदी की और संदिग्ध को ग्राम गेरवानी स्थित वीआईपी ढाबा के पास पकड़ लिया। तलाशी में युवक के पास 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक की जरिकेन में करीब 8 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 800 रुपये है। पूछताछ में आरोपी सुन्दर साय राठिया (उम्र 27 वर्ष) ने अवैध शराब बिक्री के लिए ले जाने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद थाना पूंजीपथरा में उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया।

इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, आरक्षक अभिषेक द्विवेदी और विक्रम कुजूर शामिल थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध शराब के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती बरत रही है।

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025

मतदान दलों की सुविधा के लिए निर्वाचन ड्यूटी स्थल पर पहुंचाये जाने हेतु जिला प्रशासन ने की बसों की व्यवस्था

❏ प्रथम चरण में 15 फरवरी, द्वितीय चरण में 18 फरवरी एवं तृतीय चरण में 21 फरवरी को रवाना होगी बसें

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 तीन चरण में होंगे। जिसके अनुसार प्रथम चरण में 17 फरवरी 2025 को जिले के जनपद पंचायत रायगढ़ एवं पुसौर में, द्वितीय चरण में 20 फरवरी 2025 को जनपद पंचायत खरसिया एवं धरमजयगढ़ में तथा तृतीय चरण में 23 फरवरी 2025 को जनपद पंचायत तमनार, लैलूंगा एवं घरघोड़ा में मतदान होना नियत है। मतदान सामग्री वितरण हेतु मतदान दलों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन ड्यूटी स्थल पर पहुंचाये जाने हेतु जिला प्रशासन बस की व्यवस्था की गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में 15 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे बस रवाना होगी। जनपद जहां मतदान होना है इनमें जनपद रायगढ़ के लिए डाईट धरमजयगढ़ से बस रवाना होगी और बीआरजीएफ भवन तहसील कार्यालय परिसर रायगढ़ पहुंचेगी। जिसके लिए मनोज कुमार सारथी के मोबा.नं.7000256833 में संपर्क किया जा सकता है। इसी तरह जनपद पंचायत पुसौर के लिए बस जहां से रवाना होगी इनमें डाईट धरमजयगढ़ संपर्क-श्री मनोज कुमार सारथी के मोबा.नं.7000256833, कार्यालय जनपद पंचायत तमनार-संपर्क नरेन्द्र कंवर मोबा.नं.93992-31844 तथा तहसील कार्यालय परिसर खरसिया-संपर्क बनमाली यादव मोबा.नं.62614-94293 में संपर्क किया जा सकता है। उक्त बस साक्षर भारत कार्यालय जनपद पंचायत पुसौर पहुंचेगी।

द्वितीय चरण में 18 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे बस रवाना होगी। जिसमें जनपद पंचायत खरसिया के लिए जनपद पंचायत लैलूंगा से बस रवाना होगी जो शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया पहुंचेगी। इसके लिए चमार सिंह मोबा.नं.93996-28933 में संपर्क कर सकते है। इसी तरह जनपद धरमजयगढ़ के लिए जहां से बस रवाना होगी इनमें कार्यालय जनपद पंचायत लैलूंगा- चमार सिंह मोबा. नं.93996-28933, कार्यालय जनपद पंचायत घरघोड़ा-श्री दिनेश सिंह मोबा.नं.99261-69207 एवं कार्यालय जनपद पंचायत पुसौर-श्री रवि कुमार यादव मोबा. नं.86023-73713 में संपर्क किया जा सकता है। यहां से रवाना होने वाली उक्त बस जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)हॉल क्र.2 धरमजयगढ़ पहुंचेगी।

तृतीय चरण में 21 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे बस रवाना होगी। जनपद जहां मतदान होना है इनमें जनपद तमनार के लिए तहसील ऑफिस के सामने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम, रायगढ़ से बस रवाना होगी जो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तमनार पहुंचेगी। जिसके लिए राजेश तिवारी मोबा.नं.93402-94407 में संपर्क किया जा सकता है। इसी तरह जनपद लैलूंगा के लिए तहसील ऑफिस के सामने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम, रायगढ़ से बस रवाना होगी जो कार्यालय जनपद पंचायत लैलूंगा पहुंचेगी। जिसके लिए राजेश तिवारी मोबा.नं.93402-94407 में संपर्क किया जा सकता है। जनपद घरघोड़ा के लिए जहां से बस रवाना होगी इनमें तहसील ऑफिस के सामने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम, रायगढ़-श्री राजेश तिवारी मोबा.नं.93402-94407, कार्यालय जनपद पंचायत पुसौर-श्री रवि कुमार यादव मोबा.नं.86023-73713 एवं तहसील कार्यालय परिसर खरसिया-श्री बनमाली यादव मोबा.नं.62614-94293 में संपर्क किया जा सकता है। यहां से रवाना होने वाली उक्त बस पीएम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/ हिन्दी माध्यम विद्यालय घरघोड़ा पहुंचेगी।

नगर पंचायतों में महिला निर्वाचन कर्मी करेंगे मतगणना कार्य

❏ पाली पाली में दिया गया प्रशिक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिले के 6 नगर पंचायत बिलाईगढ़, बरमकेला,भटगांव, सरिया, सरसीवा, पवनी में मतदान का मतगणना 15 फरवरी को सिर्फ महिला निर्वाचन कर्मियों के द्वारा किया जाना है। प्रत्येक टेबल में 1 गणना पर्यवेक्षक और 2 गणना सहायक दोनों में महिला कर्मी ही काम करेंगी। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू और अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला व्याख्याताओं को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें वह ईवीएम मशीन को चालू कैसे करना है, उसमें अध्यक्ष और पार्षद दोनों के मतदान का परिणाम कैसे घोषित करना है, बारी-बारी से वार्ड अनुसार प्रत्याशियों के नाम उनको प्राप्त मत क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताया जाना है, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया।जिला मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी और एस आर अजय ने पाली पाली में प्रशिक्षण दिया। इस दौरान सभी कर्मियों को मत की गोपनीयता नियम का पालन करने के निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480